"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2012—आश्विन 27, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-1-10/2012/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01-01-2013 की स्थिति में अधिसमय वेतनमान में रिक्तियां उपलब्ध होने पर, दिनांक 24-09-2012 को संपन्न छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक की अनुशंसा अनुसार, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000, ग्रेड पे रु. 10000/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता

है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री सुबोध कुमार सिंह (1997)	विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, संचालक, विमानन तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर.	सचिव, सह आयुक्त विमानन, सचिव मुख्यमंत्री, तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, रायपुर.
2.	श्री एम. के. त्यागी (1997)	विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, संचालक, छ.ग. प्रशासन अकादमी, विशेष सचिव, जनसंपर्क एवं खनिज साधन विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म.	सचिव, खनिज साधन विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, तथा भौमिकी एवं खनिकर्म एवं सचिव, मुख्यमंत्री.

भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस (II), दिनांक 09-07-2012 द्वारा वर्ष 97 के लिये अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति हेतु दिनांक 01-01-2013 की स्थिति में 12 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

श्री सुबोध कुमार सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा.प्र.से. (1991) सचिव वित्त, विमानन एवं क स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग केवल सचिव विमानन विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

श्री सुबोध कुमार सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से संचालक विमानन का पद आयुक्त विमानन के नाम से जाना जाएगा.

श्री आर. के. सिंह, भा.व.से., संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर को अन्य आदेश तक अस्थाई रूप से संचालक, तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री एस. आर. ब्राम्हणे भा.प्र.से. (2000) संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय के ाटन के फलस्वरूप संचालक, समाज कल्याण के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-1-14/2011/1/2.—राज्य शासन द्वारा दिनांक 12-07-2012 को यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के क्स वेतनमान (Apex Scale) में एक अतिरिक्त अस्थाई असंवर्गीय पद सृजन करने की अनुमति भारत शासन से ली जाय.

भारतीय प्रशासनिक सेवा छत्तीसगढ़ संवर्ग में आवंटन वर्ष 1982 के श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से., को आवंटन वर्ष से 30 वर्ष की पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक दिनांक 13-07-2012 में भारतीय प्रशासनिक सेवा पेक्स वेतनमान (Apex Scale) में रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में पदोन्नत किये जाने की अनुशंसा की गई थी.

भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11030/4/2012-AIS-II/दिनांक 26-09-2012 के द्वारा राज्य शासन के उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) में एक वर्ष के लिये एक अतिरिक्त असंवर्गीय पद निर्माण की अनुमति ई है.

अत: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपरोक्त रिक्त र्गीय पद पर अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रुपये 80,000/- (निश्चित) में पदोन्नति प्रदान करता है.

पदोन्नति उपरान्त श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा भा.प्र.से. (1982) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं ना, वाणिज्यकर विभाग (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) के पद पर पदस्थ किया जाता है.

) श्री दिब्येन्दु शेखर मिश्रा, भा.प्र.से. (1982) के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 नियम-9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव के पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-1-10/2012/1/2.—इस विभाग के आदेश समसंख्यक दिनांक 28-09-2012 में के अनुक्रम में श्री एम. के. त्यागी, भा.प्र.से., (1997) की पदोन्नति उपरान्त नवीन पदस्थापना में सचिव, खनिज साधन विभाग, आयुक्त-सह-संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा सचिव, मुख्यमंत्री, के साथ सचिव, जनसंपर्क विभाग पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-4/2012/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस" के अवसर पर गुरुवार, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 को छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में "सामान्य अवकाश" घोषित करता है.

2. यह अवकाश बैंकों एवं कोषालयों के लिए लागू नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई 7-06/2012/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-09-2012 द्वारा श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे (भा.प्र.से.), सहायक कलेक्टर, जिला-बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 13-08-2012 से 27-08-2012 तक (15 दिवस) का स्वीकृत किया गया पितृत्व अवकाश, उनके द्वारा उपभोग न किए जाने के कारण, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8149/2695/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, श्री एस. के. मोदी, (संतोष कुमार मोदी) अधिवक्ता/नोटरी, कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.), का नाम नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्रमांक-एफ 3-39/2012/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीयं क्षेत्रों को कालम नं. 2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है	उस थाने/चौकी का नाम, जिससे अपवर्जित किया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चौकी-बरियों, थाना-राजपुर जिला-बलरामपुर.	चौकी-बरियों, थाना-धौरपुर, जिला-सरगुजा.	बरियों	26
			आरा	29
			सिघमा	23
			भिलाईखुर्द	28
			बलरामपुर	29
			चांची	25
			खुखरी	24
			डकवा	25
			भेस्की	26
			अमड़ीपारा	30
			घटगांव	30
			वादा	28
			बांटीडांड़	28
			बघिमा	25
			मदनेश्वरपुर	27
			ककना	27

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 1-328/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012.—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 6-9-2012 में शब्द "पंचायत राज संचालनालय" के स्थान पर "पंचायत संचालनालय" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त उइके, उप-सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-24/2012/सक/26.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग अन्तर्गत विभागाध्यक्ष कार्यालय समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के अमले के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निम्नानुसार पद सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	पदसंख्या (3)	वेतनमान (4)	ग्रेड वेतन (5)
1.	अपर संचालक	01	37400-67000	8700
2.	स्टेनोग्राफर	01	5200-20200	2800
3.	वाहन चालक	01	5200-20200	1900
4.	भृत्य	01	4750-7400	1300
	योग	**04**		

2. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 34-शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 02-सामाजिक कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-(4482) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना-आयोजना मद अन्तर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 336/1001181/ब-1/चार, दिनांक 31-07-2012 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर केरकेट्टा, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 7-13/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 15-05-2012 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टर में) (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	धरमपुरा प.ह.नं. 54	304/2	1.428 हेक्टेयर	कृषि, मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के कार्यालय भवन प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

क्रमांक-एफ 7-37/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्रामपुरी, निवेश क्षेत्र, जिला कोण्डागांव का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई है :—

अनुसूची

विश्रामपुरी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - ग्राम वैजनपुरा, खलारी एवं कोसमी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में - ग्राम कोसमी, हाल्मा, बाड़गांव, करूभाट, होनावंडी एवं पारोन्ड ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में - ग्राम पारोन्ड, खजरावंड, सोनपुर, कलगांव एवं कोरगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में - ग्राम कोरगांव, आमागुहान एवं वैजनपुरा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 26 सितम्बर 2012

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बकावण्ड	कौडावण्ड	1.167	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	अमरीगुड़ा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं डूबान क्षेत्र निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक 52/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	खमतराई प.ह.नं. 17	0.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भ./स.), संभाग क्र.-1, बिलासपुर (छ.ग.)	अशोक नगर से आशाबन बिरकोना मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-3 अ/82 वर्ष 11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	तुलसी प.ह.नं. 01	0.358	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, राजनांदगांव, छ.ग.	तु[illegible]पी-पौंसरी मार्ग के शि[illegible]नाथ नदी पर पुल एवं [illegible]हुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-4 अ/82 वर्ष 11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	खैरी प.ह.नं. 16	0.292	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर, छ.ग.	बलौदाबाजार-भाटापारा के कि.मी. 11/4 में जमुनैया नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-5 अ/82 वर्ष 11-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	खम्हरिया प.ह.नं. 18	0.421	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर, छ.ग.	बलौदाबाजार-भाटापारा के कि.मी. 11/4 में जमुनैया नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8394/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गोड़री प. ह. नं. 21	1.429	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के गोड़री माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8395/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डुरिया	पंडरीपथरा प. ह. नं. 21	0.674	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8396/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आंतरगांव प. ह. नं. 27	0.182	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज के अन्तर्गत लघु नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8397/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	मुंजालकला प. ह. नं. 60	0.745	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अंतर्गत बायीं तट लघु नहर निर्माण हेतु. **(पूरक प्रकरण)**

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक/8398/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	कुमर्दा प. ह. नं. 30	0.106	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	खैरपाली प. ह. नं. 34	4.497	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	फुलबंधिया प. ह. नं. 34	3.378	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि [illegible] संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश[illegible] अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के [illegible] के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने [illegible] में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 [illegible] उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन [illegible] वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	[illegible]
रायगढ़	खरसिया	बेंदोझरिया प. ह. नं. 34	9.683	मुख्य महाप्र[illegible]धक, जिला व्यापार एवं उद्योग [illegible]न्द्र, रायगढ़.	औद्य[illegible] प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में [illegible]खा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बासनपाली प. ह. नं. 36	4.759	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बासनपाली प. ह. नं. 36	4.759	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.17 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
382/1	0.19
383	0.06
380/1	0.29
380/2	0.16
379/1	0.30
406/2	0.02
406/3	0.16
408	0.19
406/4	0.22
406/8	0.16
407/1	0.07
407/2	0.07
407/3	0.03
407/4	0.25
योग	2.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी व्यपवर्तन योजना निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभाठा, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
71/1	0.10
71/2	0.24
72	0.03
73	0.01

(1)	(2)
80	0.23
86/1	0.22
86/2	0.14
90	0.52
99/2	0.14
100	0.20
145/1घ, 145/4, 145/5	0.40
145/1ग, 145/3, 145/4	0.30
143/2	0.13
164	0.30
165/3	0.20
184/1	0.10
184/4	0.03
184/10, 187/2	0.30
185	0.05
233	0.14
234	0.15
235	0.08
236/1	0.22
251/1	0.20
251/2	0.13
252	0.02
253/1	0.10
253/2	0.10
254/1	0.15
254/2	0.17
255	0.02
256	0.20
257/1	0.12
257/2	0.12
258	0.25
274	0.02
266/1	1.10
270/1	0.20
270/2	0.20
275/1	0.12
275/2, 276/2	0.40
276/1	0.25
278	0.02
377	0.10
योग	8.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभाठा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 29 सितम्बर 2012

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-लुण्ड्रा
 (ग) नगर/ग्राम-पसेना
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.339 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/2	0.243
257/3	0.049
13/3	0.070
222	0.012
28	0.222

(1)	(2)	(1)	(2)
37	0.016	245	0.101
112/1	0.016	250/8	0.061
212	0.149	341/3	0.016
180	0.174	244	0.141
250/5	0.061	165	0.020
282/2	0.141	246	0.081
286	0.012	179	0.101
301/4	0.081	221	0.081
340	0.008	257/2	0.049
379/17	0.084	289	0.016
379/2	0.100	185/1	0.085
1/15	0.081	305	0.020
12	0.182	379/8	0.016
250/7	0.061	379/11	0.049
27	0.172	306	0.048
33/1	0.087	3	0.320
36/2	0.028	13/1	0.070
168/1	0.121	15	0.113
173	0.016	343/3	0.107
215/2	0.041	33/2	0.087
250/4	0.061	176	0.120
283/3	0.097	347/1	0.093
213	0.445	246	0.032
450/2	0.081	267	0.182
338/3	0.136	256/1	0.041
379/6	0.040	291	0.162
379/20	0.041	178/2	0.089
1/17	0.060	219	0.016
29	0.016	379/15	0.061
13/4	0.071	379/12	0.040
215/4	0.100	378/4	0.016
175	0.162	13/2	0.070
42	0.182	249	0.065
172/1	0.093	387/8	0.049
177/4	0.133	36/1	0.181
220	0.121	111	0.101
257/1	0.049	174/2	0.283
256/2	0.041	303	0.162
187/2	0.098	293	0.032
304	0.064	264	0.032
345/2	0.016	379/464	0.061
387/1	0.049	301/3	0.081
387/9	0.049	181	0.008
1/18	0.081	379/7	0.057

(1)	(2)
377	0.210
योग	8.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 28 जून 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बस्तर
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.102 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
402	0.004
403	0.020
404	0.066
407	0.084
408	0.084
411	0.054
412	0.112
414	0.080
417	0.088
418/2	0.040
425/1	0.460
429	0.020
430	0.184
431	0.036
433	0.064
434	0.090
435	0.090
474	0.112
438	0.036
473	0.424
475	0.306
509	1.218
511	0.282
521	0.208
526	0.156
531	0.204
532	0.210
533	0.072
723	0.234
1814	0.056
724	0.276
1809	0.072
509	0.032
706	0.220
709	0.168
711	0.032
712	0.276
710	0.008
737	0.088
738	0.192
1308/4	0.264
1309	0.100
1308/1	0.022
1311	0.024
1307	0.264
474	0.044
690/1	0.110
690/2	0.032
686/2	0.040
689	0.078
688	0.200
693/1	0.036
748	0.038

(1)	(2)
747	0.210
744	0.200
752	0.100
1187	0.040
1218	0.152
1188	0.060
1184	0.304
1180	0.096
1221	0.208
1181	0.008
1182	0.168
1217	0.064
1226	0.080
261	0.216
285	0.200
262	0.096
263	0.096
289	0.120
574	0.108
575	0.120
589	0.180
596	0.288
805	0.160
808	0.020
807	0.136
806/6	0.044
806/4	0.036
806/3	0.020
810	0.044
862	0.288
1126/1	0.070
1126/2	0.070
1125	0.168
1129	0.020
1128	0.020
1132	0.060
509	0.020
510/1	0.010
511	0.080
504/1	0.090
504/2	0.090
503/3	0.110
502	0.110
501	0.140
398	0.152
397	0.232
396	0.100
388	0.112
389	0.116
450	0.032
390	0.216
391	0.040
449	0.208
457	0.264
योग 107	14.102

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत सिवनी माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 03 एवं अलनार माइनर नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्रमांक 27.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1090/2	0.032
	1090/5	0.036
	1090/6	0.065
योग	3	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंचाई कालोनी जर्वे पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 सितम्बर 2012

क्रमांक 03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ीदलहा, प. ह. नं. 03/04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.69 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	420/2	0.14
	449	0.43
	487/2	0.95
	479/2	0.30
	515	0.16
	540/1	2.01
	578/1	0.23
	675/4	0.45
	713/1	1.09
	781	0.22
	783/2	0.22
	784/1	0.15
	784/2	0.14
	787/1	0.01
	787/2	0.18
	577/4	0.61
योग	16	7.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक 01.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसाहीनाला, प. ह. नं. 03/04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.23 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
118	0.18
119/1	0.33
194/1	0.46

	(1)	(2)
	203/1	0.74
	431	0.42
	47/1	0.26
	47/2	0.40
	47/3	0.20
	48	0.26
	49	0.41
	50	0.11
	51	0.25
	52	0.32
	55	0.53
	56	0.70
	57/1	0.76
	630/2	0.20
	57/2	0.75
	108	1.09
	112	1.02
	630/1	0.45
	630/3	0.31
	630/4	0.20
	205/1	0.88
योग	24	11.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला जलाशय योजना डूबान के अन्तर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8393/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कोनारी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.966 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/4	0.028
5/3	0.020
14/3	0.129
220/14	0.150
7/3	0.534
94/2	0.004
5/2	0.097
14/1	0.145
12/2	0.020
14/2	0.093
181/3	0.097
13/2	0.057
13/3	0.008
13/4	0.008
31/3	0.004
31/2	0.008
30/2	0.041
31/1	0.061
52/6	0.101
182/3	0.081
62/1	0.032
52/5	0.041
63/2	0.012
106	0.024
103/1	0.521
103/5	0.089
220/16	0.004
97	0.004
98/2	0.004
103/2	0.049
103/3	0.201
140/1	0.097
95	0.089
98/3	0.008
103/4	0.057

(1)	(2)
139/1	0.049
139/2	0.032
173	0.069
171	0.028
182/2	0.125
223	0.234
220/1	0.057
220/7	0.150
236	0.004
240/2	0.186
15/1	0.028
96	0.020
5/1	0.016
13/1	0.190
63/4	0.041
170/1	0.218
63/1	0.146
62/3	0.146
54	0.040
89/1	0.008
138/3	0.045
138/4	0.045
174/2	0.024
240/1	0.388
175/1	0.041
181/1	0.045
181/5	0.028
181/4	0.032
295	0.032
239	0.004
62/4	0.020
55	0.020
102	0.045
240/3	0.020
99/1	0.016
172/3	0.036
101/1	0.057
101/2	0.024
99/2	0.016
175/4	0.004
30/3	0.093
53/1	0.040
135	0.186
योग 78	5.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के बगदई डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8497/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
431/2	0.060
429	0.012
503/1	0.154
550/3	0.121
योग 4	0.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्रमांक 8498/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुगलानी, प. ह. नं. 22/25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.613 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	558/6	1.613
योग	1	1.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चिचपोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.016
44	0.016+0.121
52	0.028
53	0.028
55	0.012
56	0.012
57/1	0.021
57/2	0.012
57/5	0.021
64/2	0.032
65	0.008
68	0.149
76/2	0.053
77	0.061
78	0.020
79	0.111
80/2	0.081
81	0.073
91/1	0.032
92/1	0.093
92/3	0.032
93/1	0.057
93/2	0.085
100	0.125
147	0.012
165/1	0.069
166	0.045
167	0.024
168	0.020
171	0.041

(1)	(2)
172	0.041
योग 31	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
चिचपोल से सोनाईडीह मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7 अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.947 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
3362	0.021
3363	0.028
3371/1	0.024
3720/1	0.110
3720/2	0.110
3721	0.069
3764/1	0.110
3765/1	0.032
3771/1	0.036
3771/2	0.073
3771/3	0.069
3766	0.053
3291/2	0.028
3767/2	0.045
3770/2	0.049
3771/3	0.069
3365	0.021
योग 17	0.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-
पवनी, रमतला, भण्डोरा मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 3 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.769 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
200/1	0.105
200/3	0.404
200/4	0.269
203/1	0.041
203/15	0.041
203/3	0.041
203/8	0.041
203/4	0.089

(1)	(2)
203/6	0.041
203/11	0.041
205/2	0.045
205/4	0.045
205/5	0.045
205/8	0.072
205/12	0.072
205/3	0.016
206/10	0.032
206/1	0.269
206/9	0.032
206/11	0.024
206/12	0.049
206/7	0.020
206/8	0.024
योग 23	1.769

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलिहा, बिलारी, सोनपुर मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 820.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम चुरतेली में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	689/2	0.01
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	691, 692	0.07
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	694/1	0.05
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	667/5, 667/2	0.08
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	665/2, 665/1	0.04
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	663/1, 661	0.05
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	662, 656	0.06
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	655/8	0.03
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	655/9	0.02
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	655/11	0.05
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	655/4	0.10
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	654/1	0.01
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	654/4	0.01
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	654/5	0.01
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	654/3	0.06
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	613/1	0.08
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	चुरतेली/07	663/2	0.14
			योग	17	0.87

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 822.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम फरसवानी में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2365	0.02
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2364	0.04
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2363/1	0.04
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2362/1क	0.05
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2351/1	0.03
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2350/1	0.11
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2347	0.06
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2339/2	0.09
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2334/1	0.07
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2333/2	0.20
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2324/5	0.03
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2324/3	0.04
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2232	0.05
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	2231/2	0.13
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1673/3	0.07
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1675	0.03
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1676	0.02
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1383/1	0.05
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1684	0.01
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1663	0.03
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1682/1	0.01
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1682/2	0.02
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1664/1	0.04
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1660/1	0.07
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1661	0.04
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1659/1	0.10
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1477/1	0.08
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1477/2ट	0.07
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1477/2ठ	0.06
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1477/2ख	0.03
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी/09	1477/2ग	0.17
			योग	31	1.86

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 824.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम गोबरा में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	1125	0.08
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	27	0.19
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	29	0.07
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	22	0.06
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	23	0.05
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	24	0.02
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	14	0.16
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	10	0.03
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	85	0.12
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	93	0.05
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	102	0.03
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	गोबरा/08	94	0.18
			योग	**12**	**1.04**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 826.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम रामभांठा में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	959/2क	0.07
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	959/1क	0.06
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	959/3क	0.05
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	959/4	0.09
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	959/5क	0.04
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	955/3क	0.08
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	949/1क	0.03
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	950/4क	0.03
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	951/1	0.04
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	929/3	0.08
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	847/2	0.08
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	836/1	0.03
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	836/2क, 846	0.06
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	931/3	0.04
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	929/1क	0.08
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	869/2क	0.05
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	929/2	0.08
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	868/1	0.04
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	927/1क	0.02
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	895/1	0.14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	895/2	0.04
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	920/2	0.08
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	870/1, 871/1	0.30
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	921/3ख	0.05
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	921/3क	0.04
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	924/1	0.03
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	924/4क	0.02
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	824/5	0.02
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	924/2क, 924/5	0.04
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	894/1क	0.04
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	835/2क	0.13
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	955/1क	0.06
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	824/3क	0.07
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	835/3	0.06
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	919/1क, 919/3क	0.10
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	919/4	0.03
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	921/1	0.09
38.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	824/4क	0.03
39.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	836/3क	0.03
40.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	894/2क	0.13
41.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	924/3	0.07
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	823/2क	0.02
43.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	823/3क	0.01
44.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	825/1क	0.04
45.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	1032/2क	0.03
46.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	822/2	0.16
47.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	921/2	0.09
48.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	824/2	0.03
49.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	1032/3क	0.01
50.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	842/1	0.07
51.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	847/3	0.03
52.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	833/2	0.01
53.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	833/3	0.02
54.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	833/4	0.02
55.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	1033/845	0.07
56.	जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभांठा/09	845/2	0.16
			योग	**56**	**3.42**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 828.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम ठनगन में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	4[illegible]	0.04
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	450/1	0.03
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	450/2	0.04
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	448	0.04
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	447/1	0.04
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	447/2	0.03
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	446	0.03
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	445	0.02
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	442/1, 442/2	0.13
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	436/2	0.05
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	428/1	0.05
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	428/2	0.02
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	424	0.02
14.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	423	0.02
15.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	421	0.08
16.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	419	0.02
17.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	418/1	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	418/2	0.04
19.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	417/3	0.04
20.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	417/2	0.04
21.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	416	0.03
22.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	236/3, 236/4	0.13
23.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	236/1	0.04
24.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	237, 238	0.01
25.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	243/1	0.07
26.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	240	0.05
27.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	243/3	0.04
28.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	243/4	0.02
29.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	243/2	0.03
30.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	263	0.01
31.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	262	0.02
32.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	261	0.01
33.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	277	0.05
34.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	278	0.02
35.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	280/1	0.06
36.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	281/2	0.03
37.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	346/1	0.07
38.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	342/1, 343/1	0.02
39.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	342/2, 343/2	0.02
40.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	341	0.04
41.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	340/1, 340/2	0.02
42.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	338/2	0.04
43.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	338/1	0.02
44.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	333/3	0.07
45.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	328	0.04
46.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	327/1	0.04
47.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	326/1	0.05
48.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	326/2	0.05
49.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	320/1	0.06
50.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	856/4	0.02
51.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	856/1	0.11
52.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	856/2	0.02
53.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	857/2	0.02
54.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	872/1	0.03
55.	जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन/10	874/1	0.15
			कुल	**55**	**2.39**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप-ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 830.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम कुसुमझर में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	ज़िला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	8/3	0.10
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	8/1	0.11
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	8/2ख	0.03
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	8/2क	0.06
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	3/1	0.01
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	3/2	0.01
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	4	0.04
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	5	0.06
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	6/2ख, 6/1	0.08
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	56	0.03
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसुमझर/11	58	0.20
			कुल	**11**	**0.73**

डभरा, दिनांक 25 सितम्बर 2012

प्ररूप–ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 832.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला जांजगीर-चांपा तक जिसमें प्रभावित ग्राम खोन्धर में मेसर्स अथेना छ.ग. पावर लिमिटेड, ग्राम सिंघीतराई द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

अनु. क्र.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प. ह. नं.	खसरा नंबर	भूमिगत पाईपलाईन डालने उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली कुल भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1093/2	0.05
2.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1081/4	0.02
3.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1155	0.03
4.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1154/1	0.03
5.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1153/1	0.01
6.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1153/2	0.02
7.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1137/1	0.08
8.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1143	0.01
9.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1142	0.03
10.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1091	0.13
11.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1082/1	0.08
12.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1083/1	0.02
13.	जांजगीर-चांपा	डभरा	खोन्धर/10	1079/5	0.18
			कुल	13	0.69

एस. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th September 2012

No. 683/Confdl./2012/II-2-1/2012.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Noordeen Tigala, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Balram Prasad Verma, I Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Sakti	Janjgir-Champa	I Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 28th September 2012

No. 685/Confdl./2012/II-2-90/2001 (Pt.-III).—Shri Rajesh Kumar Shrivastava, Member of Higher Judicial Service and presently working as Additional Registrar (D.E.) in the Establishment of the High Court is appointed as Additional Registrar (Judicial) in the Establishment of the High Court and Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, Member of Higher Judicial Service and presently posted as I Additional District and Sessions Judge, Sakti is transferred and appointed as Additional Registrar (D.E.) in the Establishment of the High Court from the date they assume charge of their office.

Bilaspur, the 28th September 2012

No. 30 (Mis)/I-7-3/2013 (Pt.-I).—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare that the following days are the Vacations, Holidays of the High Court of Chhattisgarh for the Year 2013 :—

Summer Vacation : Monday 13th May to Friday 07th June, 2013
Winter Holidays : Monday 23rd December toTuesday 31st December, 2013

S. No. (1)	Name of Holiday (2)	No. of days (3)	Dates as per Gregorian Calendar (4)	Days of the week (5)
1.	New Year Day	1	01-01-2013	Tuesday
2.	Milad-Un-Nabi	1	25-01-2013	Friday
3.	Republic Day	1	26-01-2013	Saturday

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Holi Holidays and Good Friday	6	25-03-2013 to 30-03-2013	Monday to Saturday
5.	Ram Navami	1	19-04-2013	Friday
6.	Mahavir Jayanti	1	24-04-2013	Wednesday
7.	Id-Ul-Fitr	1	09-08-2013	Friday
8.	Independence Day	1	15-08-2013	Thursday
9.	Raksha Bandhan	1	20-08-2013	Tuesday
10.	Janamashtami	1	28-08-2013	Wednesday
11.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2013	Wednesday
12.	Dashera Holidays	6	10-10-2013 to 15-10-2013	Thursday to Tuesday
13.	Id-Ul-Zuha (Bakrid)	1	16-10-2013	Wednesday
14.	Deepawali Holidays	9	28-10-2013 to 05-11-2013	Monday to Tuesday
15.	Muharram	1	14-11-2013	Thursday
16.	Christmas	1	25-12-2013	Wednesday

Notes :—

1. All the Sundays are declared holidays for the High Court and Registry including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. Second & Third Saturdays of the month shall be closed Saturdays for the High Court and Registry.

3. The Saturdays falling on 05th January, 2013, 27th April, 2013 and 24th August, 2013 shall be working days for the High Court.

4. The remaining Saturdays which are not declared holidays and which are not included in Summer Vacation are declared non working Saturdays for the High Court but Registry shall remain open on these Saturdays.

5. Mahashivratri, Ambedkar Jayanti & Gurunanak Jayanti fall on Sunday, therefore, no holiday is declared separately.

6. The High Court shall remain closed from 13-05-2013 to 07-06-2013 on account of Summer Vacation but the Registry shall remain open during Summer Vacation.

7. The High Court shall remain closed from 23-12-2013 to 31-12-2013 on account of Winter Holidays but the Registry shall remain open during winter holidays.

8. Holidays declared on account of Milad-Un-Nabi, Id-Ul-Fitr, Id-Ul-Zuha and Muharram are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

9. The officers and employees of the High Court Establishment shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government for the year 2013.

10. Holidays, Sundays, closed Saturdays and Vacation are in Red Ink & Non working Saturdays are in Blue Ink.

By the order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 24th September 2012

No. 477/L. G./2012/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 16 days from 25-10-2012 to 09-11-2012 and permission to suffix holidays from 10-11-2012 to 15-11-2012 (Deepawali holidays) along with permission to leave headquarters from 25-10-2012 till 15-11-2012.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 266 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
RAJESH SHRIVASTAVA, I/C Additional Registrar (ADMN.).